

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

कैम्प:- कोटडी सिमारला, पं.स. श्रीमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या
62 / 2020

जीसीएमएस
2020 / 132

दायर दिनांक
06.08.2020

निर्णय दिनांक
05.10.2021

उनवान

1. शांति देवी पत्नि प्रहलादसिंह जाति जाट उम्र-53 वर्ष निवासी होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादी

बनाम

1. हनुमान सहाय पुत्र बंदी उम्र- 48 वर्ष
2. मोठी देवी पत्नी भानाराम उम्र- 53 साल
3. मुकेश उम्र-25 वर्ष पुत्र भानाराम
4. प्रहलाद उम्र-23 वर्ष पुत्र भानाराम
5. श्रीराम उम्र-21 साल पुत्र भानाराम
6. ज्वाराराम पुत्र नाथ्या उम्र-58 साल

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

7. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित-

श्री राजेन्द्र जाखड़, वादीया अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर - प्रतिवादी सं. 7 की ओर

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955

--: निर्णय :-



Delhi
05/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीया की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तनू ग्राम होल्या का बास पटवार हल्का कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1224 कुल रकबा 0.23 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार 2/3 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 के नाम दर्ज है। जो गलत है। उक्त भूमि पर वादिया रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 17.05.2017 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एंव गीता देवी, कैला देवी, नारायणी देवी पुत्रीयाँ भानाराम ने वादिया को बैचान कर मौके पर कब्जा संभला दिया था एंव भूमि का सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके रजिस्टर्ड विक्रय लेख उप पंजीयक श्रीमाधोपुर में विधि सम्मत तरीके से तस्दीक व पंजीबद्ध करवा दिया गया था। तब यसे वादिया उक्त भूमि पर पूर्णतः काबिज काश्त चली आ रही है। वादिया ग्रामीण पृष्ठ भूमि की भोली भाली औरत है एंव अपनी रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर खरीदशुदा व कब्जाशुदा भूमि की खातेदारी दर्ज करवाने हेतु पटवारी को फोटोप्रति दी जाने पर पटवारी हल्का ने उक्त विक्रय लेख तस्दीक हो जाने के उपरान्त गीता देवी, कैला देवी, नारायणी देवी, सुमित्रा देवी पुत्रीयाँ भानाराम द्वारा अपने नाम दर्ज हक हिस्सा का रजिस्टर्ड हकत्याग लेख दिनांक 26.07.2017 को उप पंजीयक श्रीमाधोपुर में तस्दीक व पंजीबद्ध करवाकर भूमि का खाता माता व भाईयाँ प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम ही करवा दिया गया एंव राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन हो जाने के कारण वादिया के नाम विक्रय लेख के आधार पर खातेदारी दर्ज नहीं हो पाई। जिससे वादिया को सख्त हक तलफी होने एंव वादिया सरकारी सहायता ऋण, अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड आदि से वंचित होना पड़ रहा है एंव खातेदार काश्तकार को मिलने वाली सुविधाओ से वंचित हो रहे है। इसलिए वादिया ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने तथा उक्त भूमियों से प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 के नाम दर्ज हिस्सा 2/3 के राजस्व रिकार्ड से हजफ करवाये जाने बाबत उक्त वादपत्र घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीया के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में वादिया व प्रतिवादीगण को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के आयोजित शिविर बाबत पुनः नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 6 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत ग्राम पंचायत कोटड़ी सिमारला में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर वादिया के



दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नाम उक्त विक्रय लेख का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किये जाने तथा उक्त 2/3 हिस्से से नाम हजफ किये जाने का निवेदन ग्राम पंचायत के मजमे-ए-आम में किया गया। प्रकरण में वादिया व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की पहचान मौके पर उपस्थित श्रीमती विमला झरवाल सरपंच ग्राम पंचायत कोटड़ी सिमारला ने सही होने की ताईद की गई। प्रकरण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के मजमे-ए-आम में उपस्थित मौत बिरान से विस्तार से जानकारी ली गई। जानकारी लेने पर पाया गया कि प्रतिवादीगण के द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि को वादिया को बैचान किया जाना तथा वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में वादिया का मौके पर कब्जा काश्त होना प्रकट होता है। शिविर के दौरान उपस्थित वादिया ने उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया जिस पर उपस्थित प्रतिवादीगण से वार्ता करने पर प्रतिवादीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि को पूर्व में वादिया को बैचान करना तथा बैचान किये जाने के पश्चात् गीता देवी, कैला देवी, नारायणी देवी व सुमित्रा देवी के द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में हकत्याग पंजीबद्ध करा दिये जाने से वादिया के नाम खातेदारी दर्ज नहीं होना स्वीकार किया गया।

हमने वकील वादिया की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीया अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियाँ प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा प्रतिवादीगण के द्वारा अपने नाम दर्ज 2/3 हिस्से का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 17.05.2017 को वादिया के पक्ष में किया जाना तथा उक्त विक्रय लेख तस्दीक हो जाने के उपरान्त गीता देवी, कैला देवी, नारायणी देवी, सुमित्रा देवी पुत्रीयों भानाराम द्वारा अपने नाम दर्ज हक हिस्सा का रजिस्टर्ड हकत्याग लेख दिनांक 26.07.2017 को उप पंजीयक श्रीमाधोपुर में तस्दीक व पंजीबद्ध करवाकर भूमि का खाता अपनी माता व भाईयों प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम करवा दिया जाना रिकार्ड से प्रमाणित होता है। उक्त हकत्याग पंजीबद्ध करवा दिये जाने तथा हकत्याग का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो जाने से वादिया के हक में पंजीबद्ध करवाये गये विक्रय लेख का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होना स्पष्टतः प्रकट होता है। दौराने शिविर भी प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज भूमि से अपना नाम हजफ किये जाने तथा वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का निवेदन मजमे-ए-आम में किया है एवं इस बाबत अपनी-अपनी सहमति भी व्यक्त की है।




Signature
21/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अतः ऐसी स्थिति में वादीया के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने बाबत वादपत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपयुक्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम होल्या का बास पटवार हल्का कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1224 कुल रकबा 0.23 हैक्टर के 2/3 हिस्सा का वादीया को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा उक्त 2/3 हिस्से से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जाँच कर तदनुसार उक्त हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम दर्ज किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि में मजाहमत नहीं करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।




दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्प:- कोटड़ी सिमारला

यह निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत आयोजित शिविर कैम्प:-कोटड़ी सिमारला के मजमे-ए-आम में सुनाया गया।


दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्प:- कोटड़ी सिमारला